फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

सुरेशचन्द्र बनाम धीसू (वगैरा)

केस मुकदमा प्रा-पत्र ।।।-120 नं० 68 सन् 2020

ांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
2-6-20	वाद / प्रार्थनापत्र वाद जॉच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें । पत्रावली दिनांक 7-7-20 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर माण्डल	
7-7-20	उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर हैं। अवकाश पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 28-7-20 को पेश हो। [signature] रीडर उपखण्ड अधिकारी माण्डल	
28-7-20	उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर हैं। अवकाश पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 7-8-20 को पेश हो। [signature] रीडर उपखण्ड अधिकारी माण्डल	
3-20	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थीगण उपस्थित, अप्रार्थीगण 02 लगायत 10 के सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुए जिसे शा.प. किये गये, वकील प्रार्थीगण अप्रार्थी सं.1 के विरुद्ध कोई कार्यवाही नही चाहते है। तहसीलदार मांडल से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शा.प. की गई, पूर्व मे विवादित आराजियात का सीमा ज्ञान नही कराया, अप्रार्थीगण को कितनी मर्तबा आवाजे दिलायी जाने उपरान्त भी उपस्थित नही, इनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये जाते है, वकील प्रार्थीगण का प्रा.पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर शा.प. किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा	अप्रार्थी सं. 1 के खिलाफ मै अभिवक्ता कोई कार्यवाही नही चाहता हूँ [signature] 7.8.20

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2020.09.22 14:48:35 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

राजस्थान –सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–महीपाल सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या – 68/20 प्रा.पत्र

1– श्री सुरेश चन्द्र s/o रामेश्वर आचार्य निवासी - बागोर तहसील - माण्डल (बगैरा)

–प्रार्थी

बनाम

1– श्री बीसु s/o लालु आचार्य निवासी - बागोर तहसील - माण्डल [बगैरा]

[प्रा. पत्र की फोटो कॉपी संलग्न है]

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांकः– 7-8-20

::आदेश::

र्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन कया कि ग्राम.....बागोर II.....पटवार हल्का.....बागोर II.....तहसील माण्डल में उसके ाते /संयुक्त खाते की आराजी नं. 4993, 4994, 4995 कुल किता.....03.....रकबा.....0.4 घा.....–.....बिस्वा स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह हीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते ी भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक .....12-6-20.....को पंजीबद्व किया जाकर करण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्व है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी अभिलेख में किसी प्रकार की रा–फेरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकर निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को खते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्वान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

र्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम.....बागोर II ....पटवार हल्का.....बागोर II.....तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की राजी नं. 4993, 4994, 4995.....कुल किता.....03.....रकबा.....04 घा.....–.....बिस्वा भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये ाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक.....बागोर.....400/- पये/– कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा रावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजुदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये खते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की ावें।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

तिलिपिः– तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2020.09.22 14:48:35 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner